न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 11/13 ((RCMS No. 2013/00003) (धारा 90बी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

शशिकला पत्नि राकेश कुमार जाति धाकड़ निवासी नाई की मण्डी, मकान नं0 3/32 आगरा चौराहा नगला धाकरान आगरा उत्तर प्रदेश

.....अपीलान्ट

बनाम

1. लक्ष्मन सिंह पुत्र ठुकरी लाल जाति धाकड़ निवासी भगवती कालोनी बयाना जिला भरतपुर
2. उपखण्ड अधिकारी बयाना जिला भरतपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी बयाना दिनांक 20.06.2005

उपस्थितिः—

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट

नि र्ण य **दिनांक :—28.12.2017**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय दिनांक 20.06.2005 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि उपखण्ड अधिकारी बयाना ने आराजी ख0 नं0 854 में 375.55 वर्ग गज भूमि को लक्ष्मण सिंह पुत्र ठुकरी लाल की खातेदारी की भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के अन्तर्गत प्रार्थी/अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार समाप्त करते हुऐ स्थानीय निकाय नगर पालिका बयाना के हक में सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

रैस्पो0 की ओर से कई पेशियों से कोई उपस्थित नही आया। वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस पेश की।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस पेश की जिसमें अंकित किया कि उपखण्ड अधिकरी का आदेश दिनांक 20.06.2005 कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। विवादित आराजी ख0 नं0

854 पर अपीलान्ट व रैस्पो0 सह खातेदार है बिना अपीलान्ट की सहमति के उपखण्ड अधिकारी ने रेस्पो0 के पक्ष में दिनांक 20.06.2005 को आदेश पारित कर दिया। जबकि 90बी के आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट की सहमति आवश्यक है। अपीलान्ट ने कोई सहमति नही दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका निरीक्षण नही किया, न ही राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया है। रैस्पो0 ने नगर पालिका बयाना से पट्टा प्राप्त कर लिया है। जिसकी अपील अपीलान्ट ने जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की, उन्होंने स्वीकर कर ली जिसकी प्रति अपीलान्ट ने न्यायालय में प्रस्तुत की है। उस आदेश में जिला कलक्टर ने पट्टे को मौके के विपरीत माना है। इस कारण भी उपखण्ड अधिकारी बयाना का आदेश निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एक तरफा में पारित किया है। जिसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को नही थी। जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। रैस्पो0 लक्षमन सिंह के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकरी बयाना ने आराजी ख0 नं0 854 के 375.55 वर्गगज भूमि को धारा 90बी भू राजस्व अधिनियम के तहत लक्षमन सिंह के खातेदारी अधिकार समाप्त करते हुऐ स्थानीय निकाय नगर पालिका बयाना के हक में सिवायचक दर्ज करने का आदेश दिनांक 20.06.05 को दिया है। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सं0 2064 से 67 में विवादित आराजी ख0 नं0 854 रकवा 0.38 हैक्टेयर पर लक्षमण सिंह पुत्र ठकुरी लाल का 3/5 हिस्सा है। विवादित आराजी में अन्य सहखातेदारान भी हिस्सेदार है जिनमें आपसी वॅटवारा नही हुआ है। बिना वॅटवारे के सह खातेदारान की भूमि पर प्रत्येक सह खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है। सह खातेदारान की भूमि का जब तक वॅटवारा नही हो जाता तब तक किसी निश्चित भू–भाग को 90बी भू राजस्व अधिनियम के तहत आदेश नही दिया जा सकता है। इसके अलावा धारा 90बी भू राजस्व अधिनियम के आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट की सहमति भी नही ली गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.06.2005 विधिसम्मत् नही कहा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.06.2005 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

Web Copy - Not Official